

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, उप समाहर्ता, भू0सु0, सदर, मेदिनीनगर,
भू-हदवंदी वाद सं0-05/2013-14

विजय नारायण पाण्डेय आवेदक
बनाम
अरुण सोनी एवं अन्य विपक्षी
भूमि का विवरण

ग्राम एवं थाना	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा	चौहदी
अखौरी दुमी	10	23	0.63 एकड़	उ-मदन सिंह बगै0 द-विक्रेता निज पू-सुनिता देवी प-सुनिता देवी-नाला
	16	24	0.09½ एकड़	उ- निज विक्रेता द- लखन साव पू- सुनिता देवी प- तालाव
टोटल-0.72½ एकड़				

2270
(1/10)

आदेश

10.07.17

आवेदक द्वारा भू-हदवंदी वाद भू-हदवंदी अधिनियम की धारा 16(3) के अर्न्तगत विपक्षी संख्या-2 से 5 उसमान मियाँ, मो0 शहाबुदीन मियाँ, मो0 समसुदीन मियाँ एवं नसीमा खातून द्वारा निबंधित केवाला संख्या0-4178 दिनांक 23.05.2013 के माध्यम से विपक्षी संख्या-1 अरुण सोनी के पक्ष में ग्राम-अखौरी दुमी थाना-लेस्लीगंज की बिक्री की गयी उपर्युक्त वर्णित भूमि के विरुद्ध दायर किया गया है। आवेदक ने यह भू-हदवंदी वाद दायर करने के पूर्व प्रश्नगत केवाला की जरसम्मन की राशि के समतुल्य राशि एवं जरसम्मन की राशि का 10% राशि क्रमशः चालान संख्या- 00140 दिनांक 09.07.2013 एवं चालान संख्या सी-130 दिनांक 09.07.2013 से सरकारी कोष में जमा कर दिया है तथा चालान की एक एक प्रति प्रश्नगत केवाला की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ न्यायालय में दाखिल किया है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। वाद अंगीकृत करते हुए विपक्षी को निबंधित डाक

से सूचना निर्गत की गयी।

आवेदक/प्रियम्पटर के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा उनके द्वारा दाखिल लिखित बहस एवं कागजात का अवलोकन किया। कई अवसर देने के बाद भी विपक्षी ने अपना पक्ष नहीं रखा बल्कि विपक्षी 27.04.2017 से ही अनुपस्थित है।


आवेदक/प्रियम्पटर का दावा है कि विपक्षी सं०-2 से 5 ने प्रश्नगत भूमि जो कृषि भूमि है विपक्षी सं०-1 के साथ विक्री कर दी है जो प्रश्नगत भूमि का न तो समीपवर्ती रैयत है और न सह-हिस्सेदार ही है। आवेदक ने सुनिता देवी से निबंधित केवाला सं०-7819/7698 दिनांक 15.07.2010 के माध्यम से ग्राम अखौरी दुमी के खाता न०-16 प्लॉट न०-24बी रकबा-0.70 एकड़ एवं प्लॉट न०-24ए रकबा-1.38 एकड़, प्लॉट न०-24सी रकबा- 0.36½ एकड़ एवं खाता न०-26 प्लॉट न०-10ए रकबा-0.66 एकड़ कुल रकबा-3.10½ एकड़ भूमि क्रय किया है जो प्रश्नगत भूमि के चौहदी में है, इसलिए आवेदक प्रश्नगत भूमि का चौहदी रैयत है जिसके आधार पर आवेदक का प्रश्नगत भूमि का अग्रक्रय का अधिकार है। आवेदक का दावा है कि प्रश्नगत केवाला में प्रश्नगत भूमि के पुरब एवं पश्चिम में सुनिता देवी को चौहदी रैयत के रूप में दर्शाया गया है। सुनिता देवी द्वारा आवेदक के पक्ष में चौहदी की भूमि विक्री कर दी गई है, वस्तुतः आवेदक ही प्रश्नगत भूमि का चौहदी रैयत है, जिसका विरोध विपक्षी द्वारा नहीं किया गया है। सुनिता देवी द्वारा विक्री की गई भूमि का आवेदक के नाम से दाखिल खारीज होकर मालगुजारी रसीद निर्गत हो रही है तथा भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा है। आवेदक का दावा है कि उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर भू-हदवन्दी अधिनियम की धारा- 16(3) में दिये गये प्रावधान के अनुसार आवेदक का प्रश्नगत भूमि का अग्रक्रय का अधिकार है।

आवेदक ने प्रश्नगत केवाला की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं सुनिता देवी द्वारा आवेदक के पक्ष में ग्राम- अखौरी दुमी के खाता न०-26 प्लॉट न०- 24ए रकबा- 1.38 एकड़, प्लॉट न०- 24बी रकबा- 0.70 एकड़ एवं प्लॉट न०- 24सी रकबा- 0.36½ एकड़ कुल

रकबा- 0.70 एकड़ एवं प्लॉट न0- 24सी रकबा- 0.36½ एकड़ कुल रकबा- 3.10½ एकड़ के लिए निष्पादित केवाला सं0- 7698 दिनांक 15.07.2010 की छायाप्रति दाखिल किया है। विपक्षी ने उक्त केवाला के आधार पर आवेदक के समीपवर्ती रैयत नही होने के संबंध में न तो जवाब दाखिल किया है और न तो अपना पक्ष ही रखा। प्रश्नगत केवाला में विपक्षी सं0- 1 किसी चौहदी में नही है। स्पष्ट होता है कि आवेदक का सुनिता देवी से क्रय की गई भूमि के आधार पर अग्रक्रय का अधिकार बनता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक प्रियम्पटर का प्रियम्पशन आवेदन स्वीकृत किया जाता है। विपक्षी सं0- 1 को आदेश दिया जाता है कि वह प्रश्नगत केवाला में दिए गये शर्तों पर प्रश्नगत भूमि का आवेदक के पक्ष में 30 दिनों के अन्तर्गत केवाला निर्बंधित कर दे।

लेखापित एवं संशोधित।


उप समाहता, भू0सु0,
सदर मेदिनीनगर


10.07.17

उप समाहता, भू0सु0,
सदर मेदिनीनगर

आवेदक विजय नारायण पांडेय की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन दिया है कि सू-हदुर्वही गाह सि-05/13-14 में पारित आवेदक के आलोक में प्रश्नगत भूमि का आवेदक के पक्ष में केवाला निर्बंधित करने के लिए विपक्षी को नोटिस दिया जाय।
उक्त गाह में पारित आवेदक